निर्णय ब इजलास कुन्तल विश्नोई आर.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय), जयपुर

प्रकरण संख्या 4/2025 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

गौरी शंकर मालू पुत्र श्री रामप्रसाद मालू, नरायना, जयपुर।

बनाम — अपीलार्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय

दिनांक 20.06.2025

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि गौरी शंकर मालू द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 10.03.2025 को राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर के नाम आवेदन मय शुल्क प्रेषित कर निम्नलिखित सूचना चाही गयी–

(1) पत्र क्रमांक भू.अ./विविध/फुलेरा/2024/12529 दिनांक :– 13–12–2025 व उसके सलंग्न दस्तावेज मुख्यमन्त्री महोदय के यहाँ से उक्त प्रकरण में प्राप्त पत्र जो जिला कलक्टर महोदय को प्राप्त हुआ था एवं उसके संलग्न दस्तावेज, इस बाबत भेजी गई जांच रिपोर्ट, तहसीलदार फुलेरा से प्राप्त जांच रिपोर्ट की सूचना दिलावे।

(2) उपखण्ड अधिकारी कार्यालय का पत्र क्रमाक : राजस्व 2024/2547 दिनांक 20–12–2025 की नकल/सूचना यह पत्र SDO साहब के यहाँ से TDR साहब फुलेरा को भेजा गया था। सम्बन्धित शिकायत व उसके संलग्न दस्तावेजों की सूचना दिलावें। मेरी शिकायत दिनांक 13–12–2024 की नकल व सलंग्न दस्तावेज भी दिलावे।

(3) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी का पत्र क्रमांक: राजस्व/2024/812 दिनाक 29–11–2024, गौरीशंकर मालू की शिकायत दिनांक 28–11–2014, उस पर की गई मार्किंग व सलंग्न दस्तावेजों की सूचना दिलावे तथा तहसीलदार फुलेरा द्वारा भेजी गई जाँच रिपोर्ट की सूचना भी दिलावे।

(4) कार्यालय TDR का पत्र क्रमांक भू0अ0/2024/5302 दिनांक 04.12.2024 व उस पर SDO साहब सांभरलेक द्वारा जारी पत्र दिनांक 4.12.2024 की सूचना दिलावें।

(5) कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के यहां से प्राप्त पत्र क्रमांक सी. डी./जनसुनवाई/2024/1769 दिनांक 9.12.2024 की नकल व उस बाबत तहसीलदार सांभरलेक से प्राप्त रिपोर्ट एवं SDO साहब द्वारा जिला स्तर को भेजी गई रिपोर्ट की सूचना दिलावे।

(6) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक का पत्र क्रमांक पी.ए./2024/2543–2546 दिनांक 20.12.2024 बहस पर अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, पुलिस थानाधिकारी नरायना, गिरदावर हल्का नरायना व पटवारी हल्का नरायना से प्राप्त रिपोर्ट की सूचना दिलावे।

(7) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के पत्र क्रमाक जाच/कमेटी/2024/2344/दिनांक 4.12.2024 की नकल व इसकी पालना मे प्राप्त जाच रिपोर्ट की नकल

अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

तथा रिपोर्ट के साथ जो कवरिंग लेटर आया उसकी नकल/सूचना दिलावे (जिस पर उपखण्ड अधिकारी महोदय सांभरलेक ने मार्किंग की) तथा उक्त रिपोर्ट का कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के यहाँ वास्तव में जिस दिनांक को प्राप्त हुई उसके प्रमाण के दस्तावेज की सूचना भी दिलावे क्योंकि यह रिपोर्ट दिनांक 20–12–2014 के बाद प्राप्त हुई है।

(8) नायब तहसीलदार फुलेरा के हस्ताक्षरों से प्राप्त पत्र क्रमांक भू०अ०/2024/5569 दिनांक 20.12.2024 की सूचना

(9) प्रकरण में जांच कमेटी से दिनांक 10–12–2025 तक प्राप्त रिपोर्ट की नकल एवं यदि उक्त रिपोर्ट दिनांक 10–12–2024 तक प्राप्त नहीं हुई है तो उसकी स्पष्ट सूचना व विनिश्चय से अवगत करावे, रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये जारी किये गये स्मरण पत्रों की सूचना दिलावें।

(10) कार्यालय मुख्यमन्त्री, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक मु.म.–उस (एम के) कले. जय/)जय./25/75012 दिनांक 5–12–2024 के सम्बन्ध में स्वयं उपखण्ड अधिकारी महोदय सांभर लेक द्वारा जाँच कर भेजी गई रिपोर्ट की सूचना दिलावे, यदि उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा स्वयं जाँच नहीं की गई है तो स्पष्ट सूचना दिलाने तथा इस सम्बन्ध में तहसीलदार फुलेरा से प्राप्त रिपोर्ट की नकल दिलावे।

(11) उपखण्ड अधिकारी महोदय सांभरलेक को गौरीशंकर मालू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 1–1–2025 पर की गई मार्किंग, की गई जांच व करवाई गई जाँच की जाँच रिपोर्ट की सूचना दिलावे तथा इस आदेश के संलग्न दस्तावेजों की सूचना दिलावे।

(12) कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के आदेश क्रमाक : भू. अ. /विविध /2025/1645 दिनाक 24–01–2025 की नकल दिलावे, इस आदेश बाबत सम्पूर्ण पत्र व्यवहार की सूचना दिलावे, इस आदेश बाबत सम्पूर्ण पत्र व्यवहार की सूचना दिलावे तथा इस आदेश के संलग्न दस्तावेजों की सूचना भी दिलावे।

(13) जिला कलक्टर महोदय जयपुर को दिनांक 02.01.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर की गई मार्किंग की फोटोप्रति संलग्न है इस सम्बन्ध में यह दस्तावेज SDO साहब के यहां प्राप्त हुआ है तो उसकी सूचना दिलावे।

(14) कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के आदेश क्रमांक भूअ. /विविध/2025/1645 दिनांक 24.01.2025 की पालना में शिकायतकर्ता व कमेटी के सदस्यों को जारी नोटिस की सूचना दिलावे तथा प्रकरण में जांच रिपोर्ट भेजी गई है तो उसकी सूचना एव संबंधित पत्रावली की नोटशीटों की सूचना दिलावें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी अनुपस्थित है।

3\. हमने प्रार्थी के सूचना के अधिकार के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा जिसमें चाही गई बिन्दूवार सूचना दस्तावेजी सूचना चाहने हेतु अंकित किया गया है तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक से प्राप्त पत्रांक आर.टी.आई./अ.प्र./2025/879 दिनांक 07.06.2025 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है। प्रार्थी द्वारा विभिन्न पत्रों मय संलग्न दस्तावेज लगभग 14–15 बिन्दु की सूचना चाही गई थी जिसके संबंध में कार्यालय हाजा के पत्रांक आर

टी.आई / सूचना / 2025 / 602 दिनांक 28.03.2025 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में वर्णितानुसार चाही गई सूचना के संबंध में प्रार्थी को कार्यालय दिवस में व्यक्तिशः उपस्थित होकर कार्यालय हाजा में उपलब्ध / संधारित रिकॉर्ड का अवलोकन कर चाही गई सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया। लेकिन प्रार्थी उक्त अपील के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत सूचना के अधिकार के तहत आवेदन के संदर्भ में कार्यालय हाजा में उपस्थित नहीं हुए।

4. आवेदन के अवलोकन से जाहिर है कि आवेदक द्वारा वांछित सूचना स्पष्ट है। अतः सूचना दिये जाने में कोई अवरोध नहीं था। रिकॉर्ड अवलोकन की कोई आवश्यकता नहीं थी। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को आवेदन अनुसार वांछित प्रत्येक बिन्दूवार सूचना निःशुल्क उपलब्ध करावें। यदि सूचना आपके कार्यालय से संबंधित नहीं है तो संबंधित कार्यालय से सूचना एकत्र कर अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करावें।
5. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।
6. निर्णय आज दिनांक 20/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
अपीलीय अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर (तृतीय),
जयपुर।